

लखनऊ मंडल में अनुबंध के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिसनर की नियुक्ति हेतु सीधे साक्षात्कार (वाक इन इंटरव्यू)

अनुबंध के आधार पर लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे में कार्य करने हेतु 04 मेडिकल प्रैक्टिसनरों पुरुष/महिला की रिक्तियों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी और अनुबंध की अवधि सफलापूर्वक पूरा करने के बाद अनुबंध को आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम अनुबंध की अवधि 12 वर्ष की हो सकती है। सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर को 65 वर्ष की आयु तक एक वर्ष हेतु पॉच अनुबंध अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। योग्य उम्मीदवारों को नीचे दिये गये तिथि एवं समय एवं स्थान पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है।

- इस अधिसूचना को उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in में अपलोड कर दिया गया है। विस्तृत विवरण नियम शर्तें, फॉर्म इत्यादि उपरोक्त वेबसाइट के अन्तर्गत लखनऊ मंडल के कार्मिक शाखा (Personnel Dept.) पर उपलब्ध है।

साक्षात्कार का स्थान	तिथि	समय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कार्यालय, उ०रे०/चारबाग, लखनऊ।	02.06.2022	11.00 बजे

क्रम सं०	स्टेशन/स्वास्थ्य इकाई	पदों की संख्या	योग्यता
1	मंडल चिकित्सालय, चारबाग, उ०रे०, लखनऊ एवं लखनऊ मंडल, उ०रे०, के अधीन स्वास्थ्य इकाई हेतु (CMP/GDMO)	04 GDMO	-MBBS
		कुल - 04	

पारिश्रमिक - CMP हेतु पारिश्रमिक भत्ते (मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते सहित) निम्न है -

सीएमपी की श्रेणी	मासिक पारिश्रमिक रुपये में
GDMO	75000/-

सेवा निवृत्त डाक्टरों, राज्य एवं केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त मेडिकल अधिकारियों के लिए मासिक पारिश्रमिक रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमानुसार दिया जाएगा। जो कि सेवानिवृत्त डाक्टरों की पेंशन प्लस संविदा पारिश्रमिक को मिलाकर सेवानिवृत्त के समय प्राप्त किये जा रहे अंतिम वेतन से अधिक नहीं होंगे। नियमित रेल सेवकों को दिए जाने वाले मेंहगाई भत्ता/अन्य भत्ते देय नहीं हैं। साक्षात्कार को एक से अधिक दिनों से बढ़ाया जा सकता है ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की सुविधा रेल प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी।

1. **पद का नाम:** पूर्ण कालिक नियुक्ति पर अनुबंधित मेडिकल प्रैक्टिसनर (CMP/GDMO).

2. **नियुक्ति की प्रकृति:** नियुक्ति एक वर्ष के लिए पूर्णतया अनुबंध के आधार पर की जाएगी या नियमित यू०पी०एस०सी० चयनित डॉक्टर एडीएमओ, एवं अनुपस्थित डाक्टरों के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के अधीन की जायेगी। इसके अलावा इसे डॉक्टरों की सेवाएं एक वर्ष पूर्ण होने से पहले भी समाप्त की जा सकती हैं। अनुबंध डॉक्टर के रूप में दी गयी सेवाएं एक ठहराव अन्तर व्यवस्था है और इसमें यू०पी०एस०सी० के माध्यम से नियमित चयन के मामले में किसी भी अवधि पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबंध आधार पर नियुक्त किसी भी परिस्थिति में स्वतः ही नियमितीकरण/समायोजन का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

3. **अन्य सुविधाएं**— प्रत्येक अनुबंध के दौरान स्वयं एवं परिवार के लिए प्रथम श्रेणी का पास का एक सेट जिसे नियमित अनुबंध सेवा के तीन माह बाद जारी किया जायेगा। सेवानिवृत्त डॉक्टरों को छोड़कर, अनुबंधित मेडिकल प्रैक्टिसनर केवल अन्य लागू शर्तों पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकता है।

अनुबंध कार्य के संबंध में आउट स्टेशन यात्रा पर व्यय, निर्दिष्ट दरों पर दैनिक भत्तों द्वारा वहन किया जायेगा और यह स्वास्थ्य कार्यों के लिए स्वीकार है।

- 4 : **शैक्षिक योग्यता**— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और एक वर्ष की इंटरशिप अवश्य पूरी होनी चाहिए और किसी भी भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

5. रेलवे क्वार्टर उपलब्धता के अधीन एवं विश्राम कक्ष किराया कटौती के बाद उपलब्ध होगा।

6: आयु—

क.— दि० 01.05.2022 को 53 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए / अ0ज0जा0 के लिए 05 वर्ष की छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।

ख. सेवानिवृत्त आई0आर0एम0एस0 अधिकारी/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयु दि०- 01.05.2022 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जो न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम पाँच वर्ष के लिए होगा।

ग. वर्तमान नियमों के अनुसार आरक्षण नीति लागू होगी।

7. पदों की संख्या—04

क्रम सं०	स्टेशन/स्वास्थ्य ईकाई	अ0ज0जा0	EWS
1	मण्डल चिकित्सालय, चारबाग, लखनऊ एवं लखनऊ मंडल, उ०रे० की स्वास्थ्य इकाइयों हेतु	02	02

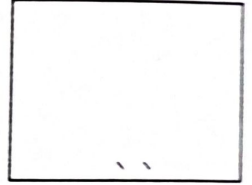
रिक्तियों केवल सांकेतिक हैं, आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन चयनित उम्मीदवारों को लखनऊ मण्डल उत्तर रेलवे में कहीं पर भी नियुक्त कर सकता है।

उपरोक्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने वाले एवं अपेक्षित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र एवं एमसीआई (भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षित समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में) चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्रत्येक की एक-एक फोटो कापी एवं दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

आवेदन के प्रारूप

सीएमपी (GDMO की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

1. नाम बड़े अक्षरों में (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी में) _____
2. पिता/पति का नाम _____
3. पता (क) स्थायी _____
(ख) वर्तमान _____
(ग) (टेलीफोन/मोबाइल नं०) _____
(घ) ई मेल आईडी _____
4. जन्मतिथि _____
5. राष्ट्रीयता/धर्म _____
6. शैक्षिक योग्यता _____
(एमबीबीएस/एमडी)



योग्यता	स्कूल/कॉलेज	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	विशेष

(नोट— समस्त प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित करके संलग्न करें)

7. EWS/ ST _____
8. स्नातक/स्नातकोत्तर के बाद अनुभव _____
9. स्पेशलिस्ट _____
10. चिकित्सा पंजीकरण सं० एवं दिनांक _____

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं समझता हूँ कि यदि दी गयी जानकारी कोई भी विवरण गलत या असत्य पाया जाता है या कोई मिथ्या विवरण या विवरणों में विभिन्नता पायी जाती है तो मैं तत्काल सेवा से निष्काशित किया जाने और कोई भी सिविल/आपराधिक/कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि यदि मेरा चयन हो जाता है और मैं साक्षात्कार के लिए 15 दिन के भीतर अपना कार्य ग्रहण नहीं करता हूँ तो रेलवे भविष्य में भारतीय रेलवे में किसी भी पद के लिए मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं करने का अधिकार रखता है।

मैं समझता हूँ कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मैं किसी टीए,डीए के लिए योग्य नहीं हूँ।

दिनांक —

स्थान —

उम्मीदवार के हस्ताक्षर —